तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील डिक्री/टी0ए0/1299/2006/बारां राजेन्द्र कुमार बनाम सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
05.02.2020	**खण्डपीठ** **श्री मुकेश कुमार शर्मा, अध्यक्ष** **श्री रामनिवास जाट, सदस्य** **उपस्थित** श्री मुकेश जैन, अधिवक्ता अपीलांट। श्रीमती पूनम माथुर, अति0 राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0। **निर्णय** यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 224 के अन्तर्गत न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, कोटा द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 16–11–2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलांट/वादी ने एक राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88, 89, 90, 91 व 92अ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बांरा के समक्ष इस आशय का प्रस्तुत किया कि विवादित आराजी खसरा नं0 712 रकबा 3.78है0 भूमि वर्तमान में राजस्व रिकार्ड में चारागाह दर्ज है किन्तु इन भूमियों के साबिक खसरा नं0 27 रकबा 9 बीघा 15 बिस्वा के संवत 1991 से 193 में राधावल्लभ पुत्र भंवर लाल 1/2 व छगनलाल माधोलाल पुत्र मदन लाल 1/2 के रूप में बतौर खातेदार कृषक दर्ज थे। राधावल्लभ के कोई वारिस नहीं था तथा छगललाल के वारिस भी मोधो लाल थे तथा माधो लाल वादी के पिता थे। माधो लाल ने विवादित आराजी वादी के नाम वसीयत कर दी थी। परन्तु भू प्रबन्ध विभाग ने लापरवाही से यह भूमियां चारागाह दर्ज कर दी। विचारण न्यायालय ने वादी का वाद दिनांक 26.03.02 को इस आधार पर खारिज कर दिया कि वादी ने विवादित भूमि बाबत मिलान क्षेत्रफल प्रस्तुत नहीं किया। विचारण न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 26.03.02 से व्यथित होकर अपीलांट/वादी ने अपीलीय न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, कोटा के समक्ष	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील डिक्री/टी0ए0/1299/2006/बारां राजेन्द्र कुमार बनाम सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

प्रस्तुत की । जिसे अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 16.11.2005 से खारिज कर दिया। अपीलीय न्यायालय के के उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 16.11.05 से व्यथित होकर यह द्वितीय अपील मंडल में प्रस्तुत की गयी है।

उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस प्रकरण में सुनी गयी।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है। उनका कथन है कि विवादित भूमि भू प्रबन्ध विभाग ने बिना किसी अधिकार के चारागाह भूमि के रूप में राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर दी जबकि भू प्रबन्ध विभाग को इस प्रकार प्रविष्टि बदलने का कोई अधिकार नहीं था। विवादित भूमि भू प्रबन्ध से पूर्व अपीलांट/वादी के खाते में दर्ज होने का तथ्य विचारण न्यायालय में सिद्ध हो गया था। विद्वान अभिभाषक ने आगे तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने विवादित भूमि चारागाह भूमि में रूप में दर्ज होने के आधार पर अपीलांट/वादी का का दावा खारिज किया और उसी आधार पर अपीलीय न्यायालय ने अपीलांट की अपील विधि विरूद्ध रूप से खारिज कर दी। विद्वान अभिभाषक ने आगे तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने संवत 1999 का कोई मिलान क्षेत्रफल पेश नहीं होने के आधार पर विवादित भूमि को जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम , 1952 की धारा 2 (एच) के अंतर्गत मानने में कानूनी भूल की है एवं यही आधार अपीलीय न्यायालय ने अपील खारिज करने में लिये है। विद्वान अभिभाषक ने बहस के अंत में प्रस्तुत अपील को स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालयों को के निर्णयों को अपास्त करने का निवेदन किया ।

विद्वान अति0 राजकीय अभिभाषक रेस्पो0 ने अपनी बहस में तर्क प्रस्तुत किया कि जमाबंदी संवत 1935 से 1938 खसरा नं0 26/593 के संदर्भ में प्रस्तुत की गयी जिसमें अन्य खातेदारान के नाम है। अपीलांट अथवा अपीलांट

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील डिक्री/टी0ए0/1299/2006/बारां राजेन्द्र कुमार बनाम सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

के पिता का कहीं भी नाम अंकित नहीं है। इसी प्रकार जमाबंदी संवत 2002 जो प्रदर्श–5 व 8 है, में अंकित भूमि जागीर भूमि है। अतः उक्त संदर्भ में विचारण न्यायालय ने भी यह माना है कि विवादित भूमि को जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम, 1952 की धारा 2 (एच) के अंतर्गत प्रथम अनुसूची के क्रमांक 15 पर अंकितानुसार जागीर भूमि है एवं इस पर खातेदारी अधिकार उक्त अधिनियम की धारा 9 के अनुसार काश्तकार को अर्थात सवंत 2009 में राजस्व रिकार्ड में खातेदार, पटटेदार के रूप में दर्ज होने पर एवं माफीदार, जागीरदार को जागीर पुर्नग्रहण की दिनांक से खुदकाश्त में होने पर ही मिल सकती है। इस सबंध में अपीलांट ने कोई तथ्य अथवा सबूत प्रस्तुत नहीं किये है। विद्वान अभिभाषक ने आगे तर्क दिया कि अधीनस्थ न्यायालयों ने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के आधार पर यह मानने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है कि विवादित आराजी पूर्व में जागीर भूमि रही है। बहस के अंत में विद्वान अभिभाषक ने प्रस्तुत अपील को खारिज करने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का गहनतापूर्वक अध्ययन किया।

उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण से स्पष्ट है कि जमाबंदी संवत 1935 से 1938 खसरा नं0 26/593 के संदर्भ में प्रस्तुत की गयी है जिसमें अन्य खातेदारान के नाम है। अपीलांट अथवा अपीलांट के पिता का कहीं भी पुश्तैनी खातेदार के रूप में नाम अंकित नहीं है। इसी प्रकार जमाबंदी संवत 2002 जो प्रदर्श–5 व 8 है, में अंकित भूमि जागीर भूमि है। अतः उक्त संदर्भ में विचारण न्यायालय ने भी यह माना है कि विवादित भूमि को जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम, 1952 की धारा 2 (एच) के अंतर्गत प्रथम अनुसूची के क्रमांक 15 पर अंकितानुसार जागीर भूमि है एवं इस पर खातेदारी अधिकार उक्त अधिनियम की धारा 9 के अनुसार काश्तकार को अर्थात सवंत 2009 में राजस्व रिकार्ड में खातेदार, पटटेदार के रूप में दर्ज होने पर एवं माफीदार,

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील डिक्री/टी0ए0/1299/2006/बारां राजेन्द्र कुमार बनाम सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

जागीरदार को जागीर पुर्नग्रहण की दिनांक से खुदकाश्त में होने पर ही मिल सकती है। इस सबंध में अपीलांट ने पर्याप्त व समुचित साक्ष्य अथवा सबूत प्रस्तुत नहीं किये है। जिसके आधार पर उन्हे खातेदारी प्रदान की जा सके। यहां यह उल्लेखनीय है कि विचारण न्यायालय में दावा राजकीय भूमि पर खातेदारी की घोषणा के लिए प्रस्तुत किया है। राजकीय भूमि पर खातेदार के लिए आवश्यक है कि या तो इन भूमियों का उन्हें या उनके पूर्वजों को आवंटन किया गया हो या राजस्व रिकार्ड से उनकी पुश्तैनी भूमि होना प्रमाणित होता हो। परन्तु अपीलांट/वादी द्वारा वादग्रस्त भूमियों के सबंधित राजस्व रिकार्ड से इस प्रकार की स्थिति होना प्रमाणित नहीं कराया गया है। वादग्रस्त भूमियों के किसी मिलान क्षेत्रफल और नक्शा ट्रेस से भी उनकी पूर्व की खातेदारी होना सिद्व नहीं कर पाये है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने समवर्ती निष्कर्ष व निर्णय पारित किये है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नही समझते है।

परिणामतः प्रस्तुत अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा दोनो अधीनस्थ न्यायालयो द्वारा पारित निर्णय दिनांक क्रमशः 26.03.02 व 16.11.05 यथावत रखें जाते है।

निर्णय प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावे।

पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रामनिवास जाट)
सदस्य

(मुकेश कुमार शर्मा)
अध्यक्ष